कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 1024 / तकनीकी / 3 / 2005 भोपाल, दिनांक 27 / 4 / 2005.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :— धारा 47—क(1—क) के अंतर्गत निराकृत प्रकरणों के संबंध में जानकारी भेजने बाबत् ।

———0———

हाल ही में एक प्रकरण में देखने में आया है कि जिला पंजीयक द्वारा धारा 47—क(1—क) अंतर्गत संदर्भित प्रकरण में संपत्ति के मूल्यांकन में बिना समुचित कारण बताए 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई । जिला पंजीयक की उक्त कार्यवाही अनियमित होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार के प्रकरणों से संभावित राजस्व हानि को रोकने के उद्‌देश्य से आदेशित किया जाता है कि दिनांक 1—5—2005 के पश्चात् निर्णीत ऐसे प्रकरणों की जिनमें जिला पंजीयक के निर्णय के कारण राजस्व में रू. 5,000 /— अथवा उससे अधिक की कमी की जाती है, संलग्न प्रारूप में जानकारी प्रकरण के निराकरण के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से भेजी जाय । इस जानकारी की एक प्रति निर्णीत प्रकरणों के साथ भी लगाई जाय । जिन निर्णीत प्रकरणों में इस प्रारूप में जानकारी संलग्न नहीं पाई जाएगी उनमें, इस निर्देशों की अवहेलना मानकर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

2. बहुत से उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों में संपत्ति अंतरणकर्ताओं के पूरे पते अंकित नहीं होते । यह एक गंभीर अनियमितता है, क्योंकि पूरे पते के बिना संपत्ति अंतरणकर्ता की पहचान ही स्थापित नहीं होती । अतः अपने अधीनस्थ उप पंजीयकों को निर्देशित करें कि कोई भी रजिस्ट्री करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें संपत्ति अंतरणकर्ताओं के पूरे पते उल्लिखित हों । बिना पूर्ण पते के रजिस्ट्री के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित उप पंजीयक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार.

हस्ता / —

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

तथ्य–पत्रक

1. दस्तावेज क्रमांक/रसीद क्रमांक व दि. :——————————————

2. उप पंजीयक कार्यालय का नाम :——————————————

3. उप पंजीय का नाम :——————————————

4. जिला पंजीयक का नाम :——————————————

5. पक्षकारों के नाम व पूर्ण पते :——————————————

6. संपत्ति का विवरण :——————————————

7. उप पंजीयक द्वारा संपत्ति का प्रस्ता. मूल्य :——————————————

8. गाईड लाईन अनुसार दरें व संगणित मूल्य :——————————————

9. जिला पंजीयक द्वारा निर्णय में निर्धारित मू. :——————————————

10. प्रस्ता. मूल्य में कमी किये जाने के निर्णय में वर्णित आधार :–

क्रमांक	आधार का विवरण	उक्त आधार के कारण मूल्यांकन में कमी.	आधार के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण.
(1)	(2)	(3)	(4)

11. क्या उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन निराधार अथवा/अतिरंजित था ? यदि हॉ तो ऐसा मानने के कारण ।

12. यदि प्रस्तावित मूल्यांकन निराधार अथवा/एवं अतिरंजित था तो उप पंजीयक के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ।

जिला पंजीयक,

..........................म0प्र0